Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone- 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 68 / 2025

श्रीमती ममता अग्रवाल
निवासी– 29 नारायण विहार,
देहराखास कारगी रोड, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 12.01.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Excess Amount of Billing.

The complainant submits and prays as under:-

"Upcl connection no SD25714145751 name Mamta Agrawal address 29, Narayan Vihar Dehrakhas kargi road Dehradun. New smart meter has been changed dated on 1/08/2025 and the meter reading was 28894 old meter no was COMET E2414E and after new meter installed new bill generated on 8/09/2025 was Rs.9356/- which is 10 times than average yearly bill amount. I have complained to UPCL customer care 1912 dated 8/09/2025 and the complaint no is 20809250925 and also called them several times but till now no action has been taken and there is no update. New meter no. GENUS 5628763, UPCL CONNECTION NO SD25714145751, OLD METER NO COMET E2414E, OLD METER LAST READING 28894 kindly refer to this complaint which we are facing after getting new Smart meter and the bill amount is extremely high and this big difference in the meter is not acceptable. I have attached the relevant document please check it and do the needful at the earliest."

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 620, दिनांकित 15/10/2025 से मंच को अवगत कराया है "कि उपभोक्ता को वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल प्रेषित किया गया है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 842, दिनांकित 26.12.2025 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता को वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल प्रेषित किया गया। साथ ही उपभोक्ता के विद्युत संयोजन के मीटर की MRI Report & Load Survey सूचनार्थ प्रेषित है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर दिनांक 01.08.2025 को नये मीटर से बदल दिया गया। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि पुराना मीटर उतारते समय उक्त विवादित मापक की रीडिंग 28894 यूनिट दर्शायी गई है, अर्थात् विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा 42 दिनों मे (दिनांक 21.06.2025 से दिनांक 01.08.2025) 1046 (28894–27848) यूनिट की विद्युत खपत की है, जो कि 25 यूनिट प्रति दिन होती है। परिवादी के उक्त दर्शायी गई खपत पर आपत्ति है क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई के दौरान विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि विवादित मापक संख्या E24148 की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत किये जाने हेतु अस्मर्थता व्यक्त की गई।

परिवादी के स्वीकृत 2 किलोवाट विद्युत भार के घरेलू संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 25 यूनिट प्रतिदिन की खपत मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.2.1(2)* के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक में मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि परिवादी को माह 08/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 228 यूनिट अर्थात् 7.6 यूनिट प्रतिदिन (228/30) के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित करे तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत (369 यूनिट) को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि में परिवादी को माह 08/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 228 यूनिट अर्थात् 7.6 यूनिट प्रतिदिन (228/30) के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित करे तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत (369 यूनिट) यथावत् रखते हुए संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुन्दरी पंरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

12/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 12/01/
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGubar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Deluradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 69 / 2025

श्रीमती ऊषा बिदानी पत्नी स्व० चन्दर कुमार बिदानी
निवासी– 5ए माधाराम फ्लैट्स,
4,रायपुर रोड, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर — दिनांक: 21.01.2026
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Excess Amount of Billing.

The complainant submits and prays as under:-

" This is to bring to your notice that in the month of August I was sent an electricity bill of aroun INR 13,000 whereas we have never ever received a monthly bill exceeding INR 1500. I have bee living in the same address for more than 60 years and have never ever received such high electrici bill. Also we don't have any AC (Air Conditioner or cooler or working geyser at home so bill can be this high). Also please note that from July 23 to August 21' 2025 I had gone to visit my Childer outside India and the house was locked with no electrical equipment running. The bill had come a a shock and surprise to me. I humbly request you to please look into this matter and waive off th

high bill that has been sent to me and reverse it to the average bill that I have been receiving in the past 12 months. Note: After receiving the bill, I had visited the Sahastradhara road office and submitted the application for check meter which was subsequently installed but as per the officer reading showed fine. This month again the bill is approx INR 1200 which is the usual bill I have been receiving. I humbly request you to please look into this matter as I am a senior citizen and have made multiple visits to electricity office at Sahastradhara Road."

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 756, दिनांकित 29/10/2025 से मंच को अवगत कराया है "कि उक्त वर्णित पते पर श्री चन्दर कुमार के नाम से विद्युत संयोजन सं० 7011321020705 घरेलू विधा में दो किलोवाट स्वीकृत विद्युत भार का संयोजित है। माह 05/2025 में उपभोक्ता का विद्युत बिल रीडिंग (10998–11168) 170 यूनिट का रू० 842.00 था। जो कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 25.05.2025 को भुगतान कर लिया गया था। माह 07/2025 में विद्युत बिल रीडिंग (13092–11168) 1924 यूनिट का रू० 13591.00 का बना। उपभोक्ता की मौखिक शिकायत पर उक्त विद्युत बिल माह 01/2024 से 07/2025 तक रीडिंग (9679–13092) 3413 यूनिट पर ऑनलाईन संशोधित किया गया। संशोधित विद्युत बिल रू० 10117 का बना तथा माह 09/2025 में रीडिंग (13092–13324) 232 यूनिट का बिल पिछले अवशेष सहित रू० 11349.00 का है। यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर उक्त संयोजन के मीटर पर दिनांक 26.08.2025 को चैक मीटर भी स्थापित किया गया जिसे दिनांक 04.09.2025 को उतारा गया। मेन मीटर व चैक मीटर की रीडिंग में कोई अन्तर नहीं पाय गया। महोदय इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्युत बिल रीडिंग के आधार पर ही निर्गत हुआ है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर उलब्ध चैक मीट फाईनल रिपोर्ट दिनांकित 04.09.2025 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का विद्युत माप वास्तविक विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से कर रहा है। पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का भी मं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

द्वारा अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 01.06.2025 को रीडिंग 11204.8 Kwh एवं दिनांक 01.08.2025 को 13115.2 Kwh है तथा कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में क्रमशः दिनांक 21.05.2025 को रीडिंग 11168 Kwh, दिनांक 26.07.2025 को रीडिंग 13092 Kwh अंकित की गई है, जिस से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक रीडिंग के अनुसार ही बिल निर्गत किये जा रहे थे। कंज्यूमर हिस्ट्री पर उपलब्ध Bill Revision Details से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को माह 01/2024 से 07/2025 तक के विद्युत बिलों को आनलाईन संशोधित कर दिया गया है। एम0आर0आई0 और कंज्यूमर हिस्ट्री के अध्ययन् से एवं यह कि परिवादी का मीटर भी सही है, मंच का मानना है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी कर दिये गये है, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

21/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–76 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 73 / 2025

श्रीमती अवनी शर्मा,
निवासी– डी०–102 पैसिफिक एस्टेट,
नियर अनुराग नर्सरी,
वसंत विहार, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 23.01.2026
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Unauthorised Disconnection Of Domestic Electricity Connection.

The complainant submits and prays as under:-

"This is to submit that I , Avani Sharma is a resident of D102, Pacific Estate Residential Apartments Near Anurag Nursery Vasant Vihar Dehradun. The society is being provided bulk electricity by the UPCL and act as agency to provide electricity to the consumers. The Society is not passing the rebates of prompt payment, but generating revenues by sale of electricity. The society has earlier linked society maintenance charges with supply of electricity and has been disconnecting electricity of customers who have not paid maintenance. Off late the corrupt MC members have also linked exorbitant development charges deduction from the meters, which was protested by society members. Inspite of protests and non consent of members, the MC members

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

resorted to harassment and disconnecting the power supply. Today i.e. on 15 Oct 2025, my powe supply was disconnected and the essential services has been discontinued. This extortion o behalf of UPCL is illegal and arbitrary. I being a single working lady living alone with a mino girl child is putting both of us in a situation of constant threat and danger to life and limb sinc we don't have anyone personally known to us in the city. In this connection I have lodged an FI (copy attached) and processed an application for direct connection from service provider wit Reg No: 476101025002. The JE (Mr Arun, mob no. 9412075932) had inspected the site on 15 Oc 2025 and asked me that approx 140 meter wire and a pole will be required to pass throug' th society premises and an NOC from society is required. Considering the nature of services to h essential and harassment by influential MC, You are requested to direct the society to tak necessary action and provide resolution to the customer, since ultimately we are the consumers o UPCL and society is just acting as an agency."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1079, दिनांकित 04/12/2025 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्रीमती अवनी शर्मा अनुराग नर्सरी के निकट पैसिफिक एस्टेट रेजिडेन्शियल आपार्टमेन्ट, देहरादून के फ्लैट नं० डी–102 में रहती है। इस अपार्टमेन्ट में सेक्रेटरी, Pacific Estate Resi. Welfare Society, Near Anurag Nursury, Dehradun के नाम से 400 किलोवाट का Single Point Bulk Supply विद्युत कनैक्शन संख्या SD0K000021398 स्थापित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वि.क्रा.वि. गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 126/UPCL/Com/RMC-Misc/CE दिनांक 10.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के पैरा 4 में द्वारा प्राविधान किया गया है कि–*

"--------Provided that if more than fifty Percent of the owners prefer individual connection then individual connection shall be given to each owner."

इस सम्बन्ध में यू.ई.आर.सी. पत्र सं० UERC/7/CL/756/2024-25/1580 दिनांक 03.03.2025 की छायाप्रति भी संलग्न है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि अभी तक उपरोक्त परिसर में निवास करने वाले लोगों द्वारा बहुलता में आवेदन नहीं किया गया है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 1201, दिनांकित 29.12.2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है–

1. *" इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या 1079 दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से माननीय मंच को मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून के पत्र सं० 1262 दिनांक 10.03.2025 के पैरा 4 मे Association or Residential Complex/Non Residential Complex/Multiplex/Malls/Townships etc. मे नये कनैक्शन में दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें बहुलता में आवेदन किये जाने पर Individual संयोजन दिये जाने का प्राविधान है। साथ ही यू०ई०आर०सी० पत्र सं० UERC/7/CL/756/2024-25/1580 दिनांक 03. 03.2025 के प्राविधान से भी अवगत कराया गया है। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पैसिफिक एस्टेट में निवास करने वाले लोगों द्वारा बहुलता में नये कनैक्शन हेतु आवेदन नहीं किया गया है।*
2. *श्रीमती अवनी शर्मा, निवासी डी–102, पैसिफिक एस्टेट, नियर अनुराग नर्सरी, देहरादून द्वारा उनके फ्लैट हेतु नये विद्युत संयोजन हेतु किये गये आवेदन के सन्दर्भ में अवर अभियन्ता–वसन्त विहार द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि पैसिफिक एस्टेट की बाउन्ड्री के बाहर स्थित यू०पी०सी०एल० एल०टी० लाईन से फ्लैट की दूरी लगभग 230 मीटर है। अतः बिना लाईन का निर्माण किये तकनीकी रूप से कनैक्शन निर्गत कया जाना सम्भव नहीं है। लाईन पैसिफिक एस्टेट के परिसर से गुजरेगी व उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई मेल cgrfgz@gmail.co

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने फ्लैट संख्या डी–102, पैसिफिक एस्टेट, नियर अनुराग नर्सरी, देहरादून के सापेक्ष पंजीकरण संख्या 476101025002 द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को विपक्षी के कार्यालय से स्वंतत्र एवं व्यक्तिगत बिजली संयोजन हेतु आवेदन किया था जो शिकायत दर्ज कराये जाने की तिथि तक लंबित है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत के क्रम में मंच को प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 1201 दिनांक 29.12.2025 का मंच द्वारा संज्ञान लिया गया।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा माननीय् नियामक आयोग के आदेश दिनांक 07.10.2024 का संज्ञान लिया गया जिस के तहत् माननीय् आयोग द्वारा Electricity (Right to Conumers) Amendment Rules, 2024 के Rule 14 को आंशिक रूप से अगीकृत किया गया। उक्त आदेश का संगत पैरा निम्नवत् है:–

" In this regard the commission in exercise of power given under Regulation 8(3) of the UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020, relaxes proviso of Regulation 3.6(6) of the said Regulations and hereby partially adopts the procedure given at Rule 14 of the Electricity (Rights to Consumers) Amendment Rules, 2024 except Rule 14 (d). Henceforth, the procedure for release of new Electricity connection in an Association or Residential Complex/Non-Residential Comples/Multiplex/ Malls /Townships, etc. to be constructed by Developer shall be as per the aforesaid Electrcity (Right to Consumers) Rules, 20: as amended Electricity (Rights to Consumers) Amendment Rules, 2024 until the Commission issues further direction in this regard or amends its Regulation 3.6 of the aforesaid Regulations."

इस के अतरिक्त माननीय् विद्युत नियामक आयोग के पत्रांक संख्या UERC/7/CL/756/2024-25/1580 Date 03-March-2025 का भी संज्ञान लिया गया जो निम्नवत् है:–*"As per Rule 14,the choice between an SPBS connection and*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

individual direct connections shall be determined through a transparent ballot process, with the majority preference of residents have been conferred with the choice to determine the mode of supply i.e, whether the supply to such Residential Complex/Township would remain with the Developer/RWA or individual connection would be released by discom." मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के नये विद्युत संयोजन पंजीकरण सख्या 476101025002 दिनांक 06 अक्टूबर 2025 के आवेदन पत्र के क्रम में माननीय् विद्युत नियामक आयोग के उपरोक्त दिशा निर्देश के तहत् कार्यवाही किया जाना तार्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के नये विद्युत संयोजन पंजीकरण संख्या 476101025002 दिनांक 06 अक्टूबर 2025 के आवेदन पत्र के संबंध में माननीय् विद्युत नियामक आयोग क आदेश दिनांक 07.10.2024 एवं पत्रांक संख्या UERC/7/CL/756/2024-25/1580 Date 03-March-2025 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। मंच द्वारा Secretary, Pacific Estate Resi. Welfare Society Near anurag Nursary, Dehradun को भी आदेशित किया जाता है कि कि परिवादी द्वारा रखरखाव/विकास शुल्क के भुगतान न किये जाने के उपरान्त भी न्यायायलों के आदेशों के क्रम में उनकी बिजली आपूर्ति बन्द न की जाए। उक्त शुल्क की वसूली हेतु Devloper/RWA अन्य उपलब्ध कानूनी चैनलों का उपयोग कर सकते है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23-1-2026
(श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

23/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23/01/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 75 / 2025

श्री परवीन मल्होत्रा,
निवासी– 01 उत्सव विहार,
कांवली रोड, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 22.01.2026
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Excees Amount of Billing.

"I hereby submit that my electricity bill for the month of October has come too much and it is very difficult/impossible to pay it. It seems like there is some technical/manual error. As an average my bill comes out to be 1200 but it is Rs. 6465 this month. I Further add that smart metres were installed in my Street, Utsav Vihar without any intimation to me. Maybe there is some impertion in the new metre. Kindly get the metre box no. 5630222 in the name of Praveen Malhotra & review my case at the earliest as the last date to submit the bill is 26th oct. 2025."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1202, दिनांकित 29 / 12 / 2025 से मंच को अवगत कराया है *कि उपभोक्ता द्वारा उनकी सर्विस केबिल को बदलने हेतु ऊर्जा भवन उपसंस्थान में कहा गया।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जिसके सम्बन्ध में लाईन स्टाफ द्वारा उपभोक्ता की सर्विस केबिल बदली गई। कुछ समय बाद उपभोक्ता का बिल अधिक आया जिसकी शिकायत उपभोक्ता द्वारा मा० मंच के समक्ष की गई है। मीटर में रीडिंग चैक की गई एवं बिल रीडिंग के अनुसार पाया गया। उपभोक्ता श्री परवीन मल्होत्रा द्वारा चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन किया गया। चैक मीटर लगाने वाले स्टाफ ने चैक मीटर लगाने से पूर्व लाईन स्टाफ को बुलवाया एवं उपभोक्ता के सर्विस केबिल चैक करवायी। लाईन स्टाफ द्वारा उपभोक्ता के सर्विस केबिल की जाँच की गई व केबिल का जोड़ ठीक किया गया, जिसके बाद से उपभोक्ता का मीटर ठीक चल रहा है। प्रकरणके परीक्षणोपरान्त संज्ञान में आया है कि ठेकेदार के माध्यम से कार्यांजित जिस लाईन स्टाफ द्वारा उपभोक्ता की सर्विस केबिल बदली गई थी वह कार्य छोड चुका है, अतः लाईन स्टाफ का उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सका है। उपरोक्त माननीय मंच को सूचनार्थ प्रेषित है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुनवा गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 05.09.2025 से 04.12.2025 अर्थात् 91 दिनों में 3 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 2266 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है जो कि 24.90 यूनिट प्रतिदिन विद्युत खपत होती है। उक्त विवादित बिल चक्र में प्रेषित बिल से परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उनकी इतनी अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न ही उक्त बिल चक्र के बाद।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से भी स्वयः स्वीकार किया गया है कि *"श्री परवीन मल्होत्रा द्वारा चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन किया गया। चैक मीटर लगाने वाले स्टाफ ने चैक मीटर लगाने से पूर्व लाईन स्टाफ को बुलवाया एवं उपभोक्ता के सर्विस केबिल चैक करवायी। लाईन स्टाफ द्वारा उपभोक्ता के **सर्विस केबिल की जाँच** की गई व केबिल का **जोड ठीक किया गया, जिसके बाद से उपभोक्ता का मीटर ठीक चल रहा है।***

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रकरणके परीक्षणोपरान्त सज्ञान में आया है कि ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत जिस लाईन स्टाफ द्वारा उपभोक्ता की सर्विस केबिल बदली गई थी वह कार्य छोड चुका है, अतः लाईन स्टाफ का उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सका है।' उपरोक्त स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि लाईन स्टाफ द्वारा लाईन केबिल के जोड को ठीक से टेपिंग न किये जाने के कारण उक्त जोड़ से अर्थिंग हुई (जैसे कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया) है, जिस कारण 91 दिनों की अवधि में परिवादी की अत्याधिक विद्युत खपत (2266 यूनिट) दर्ज की गई है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 10/2025 एवं 11/2025 में प्रेषित बीजक को निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व के तीन बिल चक्रों की औसत खपत 357 (205+254+613 /3) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्र 10/2025 एवं 11/2025 में प्रेषित बीजको को निरस्त कर उक्त बीजको को पूर्व के तीन बिल चक्रों की औसत खपत 357 (205+254+613 /3) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21-1-2026
(श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

21/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर) 21/01/2
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 81 / 2025

श्री विजय नाथ
निवासी– ग्राम ननूर खेडा, सपेरा बस्ती
रायपुर रोड, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 27.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद द्वारा परिवाद संख्या 45 / 2025 श्री विजय नाथ, निवासी– ग्राम ननूर खेडा, सपेरा बस्ती रायपुर, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तर) देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 29.09.2025 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थी / उपभोक्ता का कनेक्शन 7061316124028 था। प्रार्थी उपभोक्ता की परिस्थितियों के कारण कनैक्शन काट दिया गया था तत्पश्चात् प्रार्थी / उपभोक्ता ने शिकायत माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत मंच में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निर्णित किया गया है। प्रार्थी / उपभोक्ता संतुष्ट हो गया*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

था। प्रार्थी/उपभोक्ता ने आदेशानुसार पालन नियम के तहत रू0 699.49 जमा कर दिये गये है और निर्णय में आदेश दिनांक 29.09.2025 को नया विद्युत संयोजन अवमुक्त करें :–

1. *यह कि प्रार्थी/उपभोक्ता ने निर्णय दिनांक 29.09.2025 के पश्चात् फार्म एवं औपचारिकता पूर्ण करके विभाग सब–स्टेशन सहस्त्रधारा में जमा कर दिया गया है।*
2. *महोदय प्रार्थी/उपभोक्ता ने नये कनेक्शन के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2025 को विभाग में जमा किया गया है।*
3. *यह कि प्रार्थी/उपभोक्ता को अभी तक कनेक्शन की कार्यवाही नहीं की गई है प्रार्थी/उपभोक्ता विद्युत के कारण परेशान /पीड़ित है छोटे बच्चे है हर तरह से परेशान है।*
4. *यह कि विद्युत अधिकारी का कहना है कि कल आना, परसो आना, फोन न उठाना परेशान कर दिया है।*
5. *यह कि प्रार्थी/उपभोक्ता के साथ अन्याय हो रहा है और प्रार्थी/उपभोक्ता न्याय की मांग करता है।*

प्रार्थी/उपभोक्ता को शीध अति शीघ्र कनेक्शन लगाया जाये। प्रार्थी/उपभोक्ता के साथ पक्षपात हो रहा है अतः श्रीमान जी प्रार्थना है कि प्रार्थी/उपभोक्ता की प्रार्थना पत्र। शिकायत पर नया संयोजन के आदेश श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 18 ई.सी. रोड़, देहरादून पारित किया जाना न्यायहित।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 820, दिनांकित 03/12/2025 से मंच क। अवगत कराया गया है कि *"श्री विजय नाथ द्वारा अपने नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन फार्म भरकर इस कार्यालय में दिये गये हैं। नये विद्युत संयोजन के आवेदन फार्म के साथ उनके द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों में संयोजन*

लिये जाने वाली सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण की स्थिति स्पष्ट नही है। जिस कारण इस कार्यालय/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्रीमान नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, देहरादून को पत्रांक 765 दिनांक 31.10.25 को पत्र लिखकर संयोजन देने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हेतु लिखा गया है क्योंकि श्रीमान नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम द्वारा उपाकालि को वर्ष 2023 में पत्र के माध्यम से लिखा गया है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मलिन बस्ती क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने हेतु आवेदक के सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जायें। उक्त संबंध में मा0 मंच को सादर अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड के रेगुलेशन के तहत clause 3.3.2 (नये विद्युत एल.टी. संयोजन के लिए आवेदन) के बिन्दु संख्या 4 (a) (i) (a) में बिक्री विलेख या पट्टा विलेख (आवेदन की तिथि से तीन महीने पहले जारी की गयी नवीनतम किराया रसीद के साथ) ही संयोजन दिया जाना सम्भव होगा। महोदय यदि आवेदनकर्ता उक्त औपचारिकतायें पूर्ण कर लेते हैं तो विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव होगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 851, दिनांकित 18/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"श्री विजयनाथ, निवासी– ननूरखेडा, सपेरा बस्ती, रायपुर, देहरादून की शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक 186/उ0शि0नि0मं0/ग0क्षे0/फोरम दिनांक 29.09.2025 के द्वार पारित आदेश के अनुपालन में श्री विजयनाथ को नया विद्युत संयोजन दिनांक 16.12.2025 को निर्गत किया जा चुका है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के वाद संख्या 45/2025 में पूर्व पारित आदेश दिनांकित 29.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्री विजयनाथ को नया विद्युत संयोजन दिनांक 16.12.2025 को निर्गत किया जा चुका है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 29.09.2025 का अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/01/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone : 135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 83 / 2025

श्री विरेन्द्र सिंह रावत — परिवादी
निवासी– 20 एच.आई.जी.–2 फेस–1, इदिरा पुरम,
जी.एम.एस. रोड़, माजरा, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 22.01.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — तकनीकी सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

"I am sorry to inform you that the above bill for the month of October, 2025, show the billed units 1639 amounting to Rs. 12105/- instead of generally consumed units as around 250 for 2 months. I presume that the electricity meter has jumped some time & show more

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

reading. Present reading as on date is 45105 ie 59 units consumed in 14 days. I would earnestly request your honour to get the meter checked for jumping during the period 29/8 to 15/10, I have not used 1639 units during this period. I am using only 5 CFL bulbs,3 Fans, TV, weekly washing machine. I have no AC or Cooler. Kindly make correction in my bill based on average consumption for the year so that I can pay the bill.''

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2378 दिनांकित 29/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *'' मीटर संख्या 31490 दिनांक 05.12.2025 को जांच करने पर सही पाया है एवं पुराना मीटर मैक EMCO होने के कारण एम0आर0आई0 करने में असमर्थता जताई गई है।''*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 30/08/2025 से 15/10/2025 अर्थात् 47 दिनों में 2 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 1639 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। परिवादी द्वारा इस अवधि में अर्थात् 47 दिनों में 1639 यूनिट उपभोग की गयी है जो कि 34.87 यूनिट अर्थात् 35 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त खपत को तकनीकि रूप से (एम0आर0आई0 आदि) साबित करने में नाकाम रहा है 2 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 35 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स -0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

ऐसी दशा में परिवादी को बिल चक्र 10/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों (08/2025, 06/2025 एवं 04/2025) की औसत खपत 297 (393+248+251 /3) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्र 10/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों (08/2025, 06/2025 एवं 04/2025) की औसत खपत 297 (393+248+251 /3) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 314940 को अविलंब बदलकर एम0आर0आई0 पोर्ट युक्त विद्युत मापक स्थापित करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरें से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

21/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/01/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone, 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉव
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 84 / 2025

श्रीमती सोनम शाह
निवासी– 285 / 261, धर्मपुर
1st माता मंदिर रोड, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 27.01.2026
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"प्रार्थीनी का बिल वर्तमान समय में 11044 रू0 आया है जो कि अनुचित है, महोदय आज से 05 माह पूर्व प्रार्थीनी का बिल 01 माह में 3000 रू0 आया था जिसकी शिकायत प्रार्थीनी ने अपनी नजदीकी आराघर विद्युत उपकेन्द्र में करी थी किन्तु प्रार्थीनी के शिकायत पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुनः प्रार्थीनी आराघर केन्द्र के डिवीजन अधिकारी से मिली उनके द्वारा भी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके पश्चात् प्रार्थीनी ने (1905) पर भी शिकायत दर्ज की गई जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

द्वारा मीटर चैक कर नया मीटर लगाया गया और प्रार्थीनी को लगा कि मेरी शिकायत का समाधान हो गया किन्तु आज 05 माह बाद प्रार्थीनी को बिल प्राप्त हुआ जो कि 11044 रूपये के रूप में प्राप्त हुआ जो कि न्यायोचित नही हैं। महोदय प्रार्थीनी का एक छोटा परिवार है जो कि विद्युत खर्च बहुत कम करता है। इससे पूर्व कई वर्षो से प्रार्थीनी का प्रतिमाह विद्युत बिल बहुत कम आता था जो कि उचित था किन्तु अचानक प्रार्थीनी का अधिक बिल आना जो कि अनुचित है जिसका भुगतान करने में प्रार्थीनी असमर्थ है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थीनी को न्याय दिलाने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4279 दिनांकित 29/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"वादी के विद्युत संयोजन पर लगा मीटर संख्या 563810 जो कि मीटर बैक होने के कारण दिनांक 28.09.2025 को सहायक अभियन्ता मीटर्स द्वारा उक्त मीटर को बदलकर नया मीटर संख्या GU180479 लगा दिया गया था, पुराना मीटर बैक होने के कारण दिनांक 29.04.2025 से 28.09.2025 तक Average units पर बिल बना है तत्पश्चात् बिल नये मीटर रीडिंग के आधार पर बनाया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियनित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है, परन्तु दिनांक 26.05.2025 से दिनांक 31.10.2025 अर्थात् 8 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 1376 यूनिट अर्थात् 9 यूनिट प्रतिदिन रू0 11044.00 धनराशि का विद्युत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा परिवादी के विद्युत मापक बदले जाने के उपरान्त परिवादी की विद्युत खपत का संज्ञान लिया गया जिससे स्पष्ट है कि दो बिल चक्रों अर्थात् 11/2025 एवं 12/2025 में परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के क्रम में क्रमशः 116 एवं 115 यूनिट के विद्युत बिल प्रेषित किये गये है जिसपर परिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। मंच द्वारा विपक्षी की आख्या दिनांक 29.12.2025 का भी संज्ञान लिया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का मीटर आई0डी0एफ0 था जिस कारण सहायक अभियन्ता मीर्टस द्वारा उक्त मीटर बदल कर नया मीटर संख्या GU180479 स्थापित किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को निर्गत बिल अवधि दिनांक 26.05.2025 से 31.10.2025 का बिल निरस्त कर, पुराने आई0डी0एफ0 मीटर की खपत की गणना हेतु, उक्त बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों यथा 04/2025, 03/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 277 यूनिट (467+348+15)/3 पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को निर्गत बिल अवधि दिनांक 26.05.2025 से 31.10.2025 का बिल निरस्त कर, पुराने आई0डी0एफ0 मीटर की खपत की गणना हेतु, उक्त बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों यथा 04/2025, 03/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 277 यूनिट (467+348+15)/3 पर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तार हो।

27-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/01/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone : 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 85 / 2025

श्री प्रदीप जोशी पुत्र स्व0 पीडी जोशी
निवासी– जीए 005, रॉक वैली 222,
सेवला कलां: देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 24/01/2026

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"मेरा विद्युत कनेक्शन अकांउट नंबर 40219330717 एवं कनेकशन नंबर SD75521155028 है लोड पांच किलोवाट है। पिछला बिल दिनांक 26 अक्टूबर को बहुत अधिक आया है। इस बिल में 26 दिन की खपत 1322 यूनिट (10550 रूपये) दर्शायी गई है जबकि इससे पूर्व 30 सितंबर 2025 को 77 दिन का बिल मात्र 1237 यूनिट (8818 रूपये) का था जबकि मेरे घर पर विद्युत का उपयोग पूर्व की भांति ही हो रहा है। अक्टूबर माह के बिल में यह बढोत्तरी किसी तकनीकी खराबी के कारण हो सकती है या फिर मीटर रीडर द्वारा सही रीडिंग नहीं लिया जाना भी इसका कारण हो सकता हैं। इस प्रकार के गलत बिलों का भुगतान नहीं हो पाने के*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

कारण बिल में ब्याज भी जुड़कर आ रहा है। मैंने फिलहाल चैक मीटर के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर जांच के लिए आवेदन कर दिया है, जो अभी लगा नहीं है। महोदय मेरे मीटर में दिख रही इन असामान्य रीडिंग की जांच मात्र चैक मीटर से होना संभव नहीं है तथा मेरे मीटर की एमआरआई कराई जानी आवश्यक है, जिसमें किसी तकनीकी खराबी के वास्तविक समय या अन्य कारणों जैसे मीटर रीडिंग द्वारा भरी गई रीडिंग की सही स्थिति का पता चल सके। अतः आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे मीटर की पूर्ण जांच कराकर मेरे बिल में उचित संशोधन करते हुए शीघ्र न्याय दिलाएं जिससें मै वास्तविक विद्युत खपत का भुगतान उत्तराखंड नियामक आयोग द्वारा निर्धारित उचित टैरिफ स्लैब के अनुसार कर सकू।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 766 दिनांकित 01/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उपभोक्ता द्वारा अधिक बिल आने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (मी0) को एम0आर0आई0 एवं लोड सर्वे हेतु अवगत करा दिया गया है। रिपोर्ट आने के उपरान्त सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 796 दिनांकित 08/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *" उपभोक्ता द्वारा अधिक बिल आने की शिकायत की गई है। उपभोक्ता के आवेदन पर उनके परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि मीटर रीडर द्वारा माह अक्टूबर 2025 को उपभोक्ता को गलत रीडिंग 25049 का बिल प्रेषित किया गया, उपभोक्ता की मीटर की जांच करने पर रीडिंग 24440 पायी गई है, जिसका संशोधन कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में 5155.00 उपभोक्ता के खाते में credit कर दिया गया है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD75521155028 का अक्टूबर 2025 को प्रेषित गलत रीडिंग 25049 के विद्युत बिल को मीटर जॉच करने के उपरान्त पाई गई रीडिंग 24440 के अनुसार संशोधित कर दिया गया है जो कि ऋणत्मक (–5155.00रू0) उपभोक्ता के खाते में जमा कर दिया गया है। उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल सबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निरतारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड़समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

24/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24/01/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 86 / 2025

श्री भागेन्द्र सिंह चौहान — परिवादी
निवासी– नारायण विहार टी.एच.डी.सी.
लाईन नं0 10, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.01.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मेरा बिजली का बिल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर महीने से अधिक आया है, जिस पर मैंने विद्युत विभाग को अवगत कराया। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का बिल ठीक करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।*"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 780 दिनांकित 04 / 12 / 2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0 SD25714139542 के सापेक्ष माह 08, 09, 10, 11, एवं 12/2025 में बिल अधिक आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को उनके परिसर पर लगे मापक की रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किया गया है।*"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन; कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 858 दिनांकित 30/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0 SD25714139542 के सापेक्ष माह 08, 09, 10, 11, एवं 12/2025 में बिल अधिक आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है, उपभोक्ता को रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किये गये थे। उपभोक्ता के मापक की एम0आर0आई0 हेतु सहायक अभियन्ता (मी0) को पत्र प्रेषित किया गया था, पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मीटर की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है।*"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे थे जो कि पूर्व माहों की खपत के लगभग समान्तर ही है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा वास्तविक विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्ष
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 87 / 2025

श्री रामचन्द्र सिंह पवांर — परिवादी
निवासी– 327 टी स्टेट,
बंजारावाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 30.01.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके स्वीकृत भार से अधिक भार आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मेरा नाम रामचन्द्र सिंह है, मैं बंजारावाला देहरादून का रहने वाला हूँ। महोदय में आपको अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा संयोजन संख्या SD09996906132 है, और जिसका अधिकतम भार 04 किलो वाट है। अतः महोदय जब से मेरा मीटर लगाया है तब से मुझ पर 04*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

किलोवाट की जगह 05 किलो वाट का फिक्स डिमान्ड चार्ज पड़ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है के इस समस्या को जल्द दूर करने की कृपा करें प्रार्थी आपका अति आभारी रहेगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 781 दिनांकित 04/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *उपभोक्ता द्वारा बिल में लोड अधिक आने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बिल में लोड को संशोधित कर दिया गया है।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 23 दिनांकित 07/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *उपभोक्ता द्वारा बिल में लोड अधिक आने की शिकायत की गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के मीटर की चैंकिंग कराई गई है, जिसमें मीटर सही पाया गया है। बिल में लोड आ रही त्रृटि के समाधान हेतु आर.ए.पी.डी.आर.पी. को पत्रांक 05 दिनांक 02.01.2026 के माध्यम से पत्र प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकायत पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के मीटर की चैंकिंग कराई गई है, जिसमें मीटर सही पाया गया है। बिल में पुनः अधिक डिमांड आ रही त्रृटि के समाधान हेतु आर.ए.पी.डी.आर.पी. को पत्रांक 05 दिनांक 02.01.2026 के माध्यम से पत्र प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी परिवादी की शिकायत का आर.ए.पी.डी.आर.पी. के द्वारा समाधान किये जाने तक पूर्व में एवं भविष्य में निर्गत किये जाने वाले सभी त्रटिपूर्ण बिलों को नियामानुसार मैनुअली संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्याययोचित होगा।

आदेश

विपक्षी परिवादी की शिकायत का आर.ए.पी.डी.आर.पी. के द्वारा समाधान किये जाने तक पूर्व में एवं भविष्य में निर्गत किये जाने वाले सभी त्रटिपूर्ण बिलों को नियामानुसार मैनुअली संशोधित करे। **इस निर्णय से संतुष्ट** नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के **30 दिन के भीतर** विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-1-2021
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/01/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 88 / 2025

श्रीमती पूजा देवी — परिवादी
निवासी–ग्रीन व्यू एन्क्लेव,
चांचक बंजारावाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.01.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संयोजन सख्या *SD69999274188* की जमानत राशि लौटाये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैंने अपने भवन निर्माण के लिए एक किलो वाट का अस्थायी बिजली का कनैक्शन लिया था। भवन निर्माण पूरा होने पर मेरे घर पर लगे टैपरेरी कनैक्शन के मीटर को परमानेंट कर दिया गया। स्थायी कनैक्शन के मुझे बिल भी प्राप्त होने लगे हैं लेकिन मुझे अभी तक विभाग द्वारा टैपरेरी कनैक्शन की जमानत राशि लौटाई नहीं गयी है। जबकि मैं अपने खाते का विवरण एवं जमानत राशि की रसीद विभाग में जमा करा चुका हूँ। 01 जुलाई 2025 को मेरा मीटर परमानेंट हो गया था लेकिन चार महीने बीतने बाद भी जमानत राशि नहीं लौटाना बडा खेद का विषय है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि विभाग को मेरी जमानत राशि लौटाने का आदेश देने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 795, दिनांकित 06 / 12 / 2025 से मंच को अवगत कराया है *"कि आवेदक द्वारा अस्थाई विद्युत संयोजन संख्या– SD69999274188 हेतु जमानत धनराशि खाते में न आने की शिकायत की गई है। उपभोक्ता द्वारा उपखण्ड कार्यालय में अपने बैंक का खाता उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

कि आप पर तीस हजार के लगभग बिल बकाया हो चुका है। 06 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाए जाने के बावजूद इतना बिल सुनकर मैं हैरान हो गया फिर मैंने बिल के संबंध में पड़ताल की तो मुझे अपने बिल की हिस्ट्री प्राप्त हुई । महोदय मैंने अपनी बिल हिस्ट्री का अध्ययन किया तो पाया कि जून 2025 तक मेरा बिल माईनस में और अगस्त में सीधे रू0 28306 का बिल दिखा रहा है यह कैसे संभव है, मेरे बिल नियमित नहीं बनने के कारण इसमें भारी गड़बडी प्रतीत होती है। अंदेशा है कि मेरे सोलर जनरेशन (एक्सपोर्ट यूनिट) का भी फायदा नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे पुराने मीटर की सीलिंग की अंतिम रीडिंग और सोलर मीटर की एमआरआई में दिख रही मेरी जो सही रीडिंग है उसके अनुसार इस पूरे समय का घरेलू टैरिफ स्लैब का लाभ देते हुएसही बिल बनाया जाए जिसमें विभागीय गलती के कारण लगाये गए एलपीएस को भी समाप्त किया जाए। साथ ही विभाग को यह हिदायत दी जाए के मुझे यूपीसीएल डिवीजन के साथ हुए पर्चेस एग्रीमेंट के अनुसार प्रत्येक माह एमआरआई के हिसाब से बिल प्रदान किया जाए ताकि मैं सही बिल का भुगतान कर सकूं।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 782 दिनांकित 04/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *" आवेदक द्वारा अपने सोलर विद्युत संयोजन सं0 SD75723144084 के सापेक्ष त्रुटिपूर्ण रीडिंग सम्बन्धित बिल सम्बन्धी शिकायत की गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के वास्तविक रीडिंग की जांच कर ली गई है एवं दिनांक 07.12.2025 के उपरांत संशोधित कर बिल निर्गत कर दिया जायेगा। "*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 840 दिनांकित 26/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *" आवेदक द्वारा अपने सोलर विद्युत संयोजन सं0 SD75723144084 के सापेक्ष त्रुटिपूर्ण रीडिंग*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

सम्बन्धित बिल सम्बन्धी शिकायत की गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के वास्तविक रीडिंग की जांच कर बिल संशोधित कर दिया गया है। "

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD75723144084 के विद्युत मापक की जॉच करने के उपरान्त पाई गई रीडिंग के अनुसार विद्युत बीजक संशोधित कर दिया गया है जो कि ऋणात्मक (–4628.00रू0) उपभोक्ता के खाते में जमा कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/01/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

...y Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 90 / 2025

श्रीमती गुन्ती देवी पत्नी श्री धर्म सिंह नेगी परिवादी
निवासी–जी–92 ऋषि विहार,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 28.01.2026
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि माह अगस्त 2025 का जो बिल प्राप्त हुआ है। जिसमें दर्शाई गई बिल की धनराशि 17,000/– के लगभग दिखाई गई थी लेकिन उस बिल में बीच में 13370.25 पैसे अंकित किया गया है। जो कि मीटर रीडिंग में सम्मलित किया गया है जिसके कारण उस माह का बिजली का बिल 17,000 से भी अधिक दर्शाया गया था बार–बार बिजली विभाग गणेशपुर में सम्पर्क करने पर भी कोई समाधान नही निकाला जिस कें परिणाम स्वरूप बिजली बिल भी समय पर भुगतान नहीं हो पाया अतः महोदय से निवेदन हैं। कि इसमें अंकित दर्शाई गई राशि का ब्यौरा बताया जाये ताकि बिजली बिल का समय से भुगतान किया जा सकें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5629, दिनांकित 20 / 11 / 2025 से **मंच को अवगत कराया है** *"कि संयोजन संख्या MP12114210271 नाम श्रीमती गुन्ती देवी पत्नी श्री धर्म सिंह नेगी, निवासी– जी–92 ऋषि विहार, देहरादून के संयोजन के सापेक्ष दिनांक 10.10.2025 को चेक मीटर स्थापित किया गया, तथा 30.10.2025 को चेक मीटर फाईनल किया गया। तथा चेक मीटर एवं मेंन मीटर में कोई अन्तर नहीं आया*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

हैं। जिसमें मीटर की एम.आर.आई. की गई तथा एम.आर.आई. की रीडिंग के आधार पर ही उपभोक्ता का विद्युत बिल जनरेट किया गया है। जो कि आपको मूल रूप से अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है, परन्तु दिनांक 23.07.2025 से दिनांक 25.05.2025 अर्थात् 34 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 2539 यूनिट अर्थात् 75 यूनिट (2539/34 = 74.67) रू0 19285.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 के मिलान करने पर मंच के संज्ञान मे आया कि दिनांक 22.07.2025 को परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 15299 KWH थी जबकि दिनांक 01.08.2025 को एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 16592.5 KWH थी, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त 9 दिनों के अंतर्गत विद्युत मीटर में कोई तकनीकि खराबी उत्पन्न हुई जिस कारण मात्र 9 दिनों में 1293 यूनिट उपभोग दर्शाया गया है जो कि 143.66 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। 2 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 143.66 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह 08/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 07/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 324 यूनिट (374+355+243)/3 यूनिट पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 08/2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 07/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 324 यूनिट

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

(374+355-243)/3 यूनिट पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 84548893 को अविलंब परिवर्तित कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुन इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सके उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-1-2026
(श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

28/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/01/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 91/2025

श्री विनोद कुमार
निवासी–आरकेडिया ग्रान्ट,
बडोवाला, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 28.01.2026

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी विनोद कुमार आरकेडिया ग्रान्ट बडोवाला में मेरा दो कमरे का सेट है जिसमें की एक पंखा है न उसमें गीजर है न वाशिंग मशीन है न ही फ्रिज है फिर भी बिजली का बिल मेरा 106561 रू एक लाख छः हजार पाँच सौ इक्सठ रूपये आ गया है और हर महीने रू 2000 का बिल आ रहा है।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5637, दिनांकित 21/11/2025 से मंच को अवगत कराया है *"कि संयोजन संख्या MP12113815754 नामें श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम निवाज, निवासी–गोरखपुर आरकेडिया ग्रन्ट, देहरादून के विद्युत बिल के अधिक आने सम्बन्धी पूर्व में ही M/s Garhwal Smart Metering Pvt.Ltd. को मीटर उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे कि मीटर की एम.आर.आई. करा कर समस्या का निराकरण किया जा सके। अतः उक्त उपभोक्ता का पुराना इलैक्ट्रोनिक मीटर उपलब्ध होने के पश्चात मीटर की एम.आर.आई. करके मीटर यूनिट के आधार पर बिल निर्गत कर समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल ह
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 5743, दिनांकित 26.12.2025 से मंच को अवगत कराया है *"कि आपके द्वारा वाद संख्या 91/2025 के सापेक्ष संयोजन संख्या MP12113815754 नामें श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम निवाज, निवासी– गोरखपुर आरकेडिया ग्रन्ट, देहरादून के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 5551 दिनांक 27.10.2025 एवं पुनः पत्रांक 5675 दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से उपभोक्ता के विद्युत बिल अधिक आने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt.Ltd. को मीटर उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया था, जिसके सापेक्ष मीटर की एम.आर.आई. करा कर समस्या का निराकरण किया जा सकें। परन्तु कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt.Ltd. द्वारा आतिथि तक भी मीटर उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके कारण उक्त समस्या का समाधान करने में विलम्ब हो रहा है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा था। विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर दिनांक 13.08.2025 को नये मीटर से बदल दिया गया। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि पुराना मीटर उतारते समय उक्त विवादित मापक की रीडिंग 13536 यूनिट दर्शायी गई है, अर्थात् विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा 62 दिनों मे (दिनांक 13.06.2025 से दिनांक 13.08.2025 तक) 13510 (13536–26) यूनिट की विद्युत खपत की है, जो कि 217.90 अर्थात् 218 यूनिट प्रति दिन होती है। परिवादी को उक्त दर्शायी गई खपत पर आपत्ति है क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा दिनाक 04.12.2025 को सुनवाई के दौरान विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि विवादित मापक संख्या GU181614 की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत किये जाने हेतु अस्मर्थता व्यक्त की गई।

परिवादी के स्वीकृत 2 किलोवाट विद्युत भार के घरेलू संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 218 यूनिट प्रतिदिन की खपत मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर आई0डी0एफ0 है।

उक्त रो मंच का मत है कि परिवादी को माह 08/2025 में पुराने मीटर संख्या GU181614 के आधार पर प्रेषित 13510 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि में परिवादी को माह 08/2025 में पुराने मीटर सख्या GU181614 के आधार पर प्रेषित 13510 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत पर संशोधित करे तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत यथावत् रहेगी। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

28/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/01
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276

कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276

E-Mail – cgrfgz@gmail.com

ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

परिवाद सं0 94 / 2025

श्री हरविन्द सिंह सहगल पुत्र स्व० चरणजीत सिंह परिवादी
निवासी–दुकान बी–226, लक्ष्मी चौक,
अपोजिट इनकम टैक्स कॉलोनी,
नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 28.01.2026
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरे पिताजी चरनजीत सिंह के नाम से हमारे दुकान बी–226, नेहरू कॉलोनी में एक बिजली कनेक्शन है। मेरे पिताजी की मृत्यु 13.02.2023 को हो गई थी, उनकी मृत्यु के बाद वारिसान प्रमाण पत्र में मुझे हरविन्दर सिंह सहगल मेरी माता कवलजीत कौर एवं मेरी बहिन अमनदीप कौर तीनों ही उत्तराधिकारी हैं। हमारे अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हमने यह बी–226, 2023 में डॉ० विक्रान्त अहलावत एडवोकेट को किराये पर दी थी जिसमें उनकी पत्नी व्यवसाय करती हैं और तभी से सारा बिजली का बिल वह ही देते आ रहे हैं, उनको यह दुकान हमने 10 वर्ष के लिए किराये पर दी हुई है जिसका सारा बिजली का बिल देने की जिम्मेदारी उन्हीं की है क्योंकि उस बिल्डिंग में वह किरायेदार हैं। मार्च 2025 से यह बिजली की मीटर आई.डी.एफ. दिखाया जा रहा है जबकि आपके ए जनरल कंडीशन आफ सप्लाई का आपका रूलिंग जिसके ए पैरा के 4 नं० मे लिखा है कि अगर दो बिलिंग साइकल तक मीटर नहीं बदला जाता तो आगे का बिल शून्य माना जायेगा। इसको लेकर विक्रान्त*

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 95 / 2025

श्रीमती वन्दना
निवासी– आम बाग, कुमावनी मोहल्ला
के पास, नीलकंठ एन्क्लेव हरभजवाला
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 30.01.2026
तकनीकी सदस्य
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन निम्नलिखित बिन्दुवार है–:

1. " बिलिंग विसंगति की पृष्टभूमि

मेरे कनेक्शन का भुगतान भूतपूर्व सुसंगत और नियमित रहा है, पिछले सभी मासिक बिलों का भुगतान तुरंत किया गया है। मेरे सामान्य मासिक बिल की राशि आमतौर पर (अपनी औसत मासिक बिल राशि रू0 300 से 500) के आसपास होती है। हालांकि, जून 2025 के लिए प्राप्त बिल अधिक था, जिसकी राशि रू0 4756/– थी (जुलाई माह में प्राप्त हुआ) यह राशि मेरी उपभोग की प्रवृत्ति और सामान्य ऐतिहासिक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

बिलिंग से काफी अधिक है। अंतिम सामान्य बिल का भुगतान रू0 358/– भुगतान की तारीख 07.07.2025।

2. *शिकायत और मीटर बदलने का इतिहास*

यह गलत बिल प्राप्त होते ही, 24.07.2025 को आपके विभाग में एक शिकायत दर्ज की गई थी। विवरण है– Complaint Lodged For accuracy Test of meter. Complaint no22407250389 (मैंने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रू0 100/– का भुगतान करने का प्रयास किया, लेकिन वह लेन–देन रद्द हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐप में पहले पुराना विवादित बिल (रू04756/–) भुगतान करने के लिए प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें मैं आंशिक या अन्य भुगतान नहीं कर पाई।), यह गलत बिल प्राप्त होते ही 24.07.2025 को आपके विभाग में एक शिकायत दर्ज की गई थी। विवरण है: Telephonically Online, शिकायत संख्या– 22407250389/42000719220, शिकायत लंबित रहने के दौरान, 19.08.2025 को मेरे द्वारा खाता संख्या 42000719220 के लिए सेवा हेतु रू0 100/– की राशि का भुगतान भी किया गया था (रसीद संख्या: 349961908250606003), इसके अलावा, 19अगस्त 2025 को एक नई शिकायत दर्ज की गई थी।

UPCL का एक प्रतिनिधि मेरे परिसर में आया, और पुरानी मीटर रीडिंग के संबंध में मेरी लंबित शिकायत की जानकारी देने और मेरे आपत्तियों के बावजूद दिनांक 14.09.2025 को पुराने मीटर को एक नए डिजिटल मीटर से बदल दिया गया। प्रतिनिधि ने मुझे आश्वासन दिया था कि " मीटर ऑडिट" के बाद बिल की समस्या का समाधान हो जाएगा।

आडिट दिनांक 30.09.2025 यह घटनाक्रम बेहद निराशाजनक है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि हमारे घर पर आए व्यक्ति ने बताया कि वे आपकी नए मीटर से संबंधित शिकायत में मदद नहीं कर सकते क्योंकि वे केवल पुराने मीटर की जॉच कर सकते है और फिर एक ऐसा नंबर दे दिया जिस पर कोई कॉल नही उठा रहा।

3. *समाधान के प्रयासों का विवरण*

मीटर बदलने के बाद से इस समस्या को हल करने के मेरे प्रयासों में काफी कठिनाई आयी है।

अनसुलझी शिकायतें: पुरानी 24जुलाई 2025 और 19अगस्त 2025 को दर्ज की गई नई शिकायत, दोनो टिकट लंबित है, और अत्याधिक जून–जुलाई बिल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

असफल कार्य दौरा: मैने आपके गणेशपुर कार्यालय में तीन बार दौरा किया है लेकिन कर्मचारी समाधान प्रदान करने में असमर्थ रहे है।

चौथा दौरा दिनांक 21,22,23, अक्टूबर 2025 को मुझे बिलिंग विभाग के व्यक्ति से बात करने के लिए कहा गया, लेकिन बताया गया कि संबंधित व्यक्ति अनुपलब्ध है और अगले दिन आने को कहा गया।

पांचवा दौरा: 24,25, अक्टूबर 2025 को मुझे बताया गया कि यह मामला अब मीटर बदलने वाले विभाग के अंतर्गत आता है और उन्होंने मुझे एक नई शिकायत दर्ज करने के लिए कहा, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है।

छठा दौरा दिनांक 17 नवंबर 2025 : यह अत्यंत निराशाजनक है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि आज 17 नवंबर, 2025 को थी। विभिन्न लोगों के बीच तीन घंटे बिताने के बाद केवल श्री अग्रवाल जी (SDO)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

को यह कहना पडा कि "उनसे कोई समाधान नही हो सकता है," और संपर्क नंबर (09411112543) प्रदान किया जोकी काम नहीं कर रहा है, जो उनकी ग्राहक सेवा प्रक्रिया में गंभीर विफलताओं को दर्शाता है।

प्रतिनिधि ने मुझे आश्वासन दिया था कि "मीटर ऑडिट" के बाद बिल की समस्या का समाधान हो जाएगा।

ऑडिट दिनांक 30.09.2025 यह घटनाक्रम बेहद निराशाजनक है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि हमारे घर पर आए व्यक्ति ने बताया कि वे आपकी नए मीटर से संबंधित शिकायत में मदद नही कर सकते, क्योंकि वे केवल पुराने मीटर की जांच कर सकते है और फिर एक ऐसा नंबर दे दिया जिस पर कोई कॉल नही उठा रहा।

4. *कार्यवाही हेतु अनुरोध*

समाधान की लगातार और निराशाजनक कमी को देखते हुए मैं निम्नलिखित कार्यवाही का अनुरोध करती हूँ:–

संग्रहण पर रोक: मामले का समाधान होने तक विवादित राशि रू0 4756/– के संग्रह पर तत्काल रोक लगाई जाए।

त्वरित ऑडिट: जून 2025 के बिल में वृद्धि के कारण का पता लगाने के लिए पुराने मीटर (जिसे शिकायत लंबित रहने के दौरान बदला गया था।) के उपभोग डेटा का त्वरित और गहन ऑडिट किया जाए।

बिल में सुधार: वास्तविक औसत उपभोग और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर जून 2025 के बिल में सुधार किया जाए और संशोधित शुल्कों की स्पष्ट व्याख्या दी जाए।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

शिकायत का समापन: शिकायत संख्या: 22407250389/42000719220 का अंतिम समाधान और समापन किया जाए।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5679 दिनांकित 05/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *आपके द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 95/2025 के सापेक्ष संयोजन संख्या MP21428691621 नामें श्रीमती वन्दना पत्नी श्री नवीन, निवासी– आम बाग, कुमाऊनी मौहल्ला, नीलकंठ एंक्लेव, हरभजवाला, देहरादून को उनके द्वारा उपभोग की गई वास्तविक खपत के अनुसार ही विद्युत बीजक निर्गत किये गयें है, तथा उपभोक्ता के विद्युत बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन अवशेष नहीं हैं।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5744 दिनांकित 26/12/2025 से मंच को यह भी अवगत कराया गया है कि " *इस कार्यालय के पत्रांक 5695 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से उपभोक्ता के विद्युत बिल अधिक आने के संबंध में कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering PVt. Ltd. को मीटर उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया था, जिसके सापेक्ष मीटर की एम.आर.आई. करा कर समस्या का निराकरण किया जा सकें परन्तु कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering PVt. Ltd. द्वारा आतिथि तक भी मीटर उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जिसके कारण उक्त समस्या का समाधान करने में विलम्ब हो रहा हैं।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है। विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

दिनांक 14.09.2025 को नये मीटर से बदल दिया गया। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि पुराना मीटर उतारते समय उक्त विवादित मापक की रीडिंग 6409 यूनिट दर्शायी गई है, अर्थात् विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा 85 दिनों मे [दिनांक 22.06.2025 से दिनांक 14.09.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) तक] 922 (6409–5487) यूनिट की विद्युत खपत की है, जो कि 10.84 अर्थात् 11 यूनिट प्रति दिन होती है। परिवादी के उक्त दर्शायी गई खपत पर आपत्ति है क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा दिनांक 08.12.2025 को सुनवाई के दौरान विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि विवादित मापक संख्या 84530777 की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत किये जाने हेतु अस्मर्थता व्यक्त की गई।

परिवादी के स्वीकृत 2 किलोवाट विद्युत भार के घरेलू संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 11 यूनिट प्रतिदिन की खपत मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक में मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि परिवादी को माह 07/2025 एवं 09/2025 में पुराने मीटर की रीडिंग अनुसार प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 111 यूनिट (46+203+83)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये स्मार्ट मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को माह 07/2025 एवं 09/2025 में पुराने मीटर की रीडिंग अनुसार प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 06/2025, 05/2025 एवं 04/2025 की औसत खपत 111 यूनिट (46+203+83)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये स्मार्ट मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाये। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा चैक मीटर के सापेक्ष जमा की गई राशि परिवादी के आगामी विद्युत बिल में समायोजित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/0
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Cabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 96/2025

श्री नमित कुमार सहाय,
निवासी– 51/61 मोती बाजार,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 23.01.2026

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद वाणिज्यिक विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *मैं 51/61 मोती बाजार, देहरादून का निवासी हूँ यहाँ मेरा घर व कुछ दुकान हैं। मेरी दुकान काफी पुरानी बनी हुई है मगर लगभग 20 वर्षो से उसमें कोई काम नही हुआ है। नगर निगम के रिकार्ड में सम्पत्ति में मेरे स्व0 पिता श्री रिपूदमन सहाय का नाम अंकित है व उनके स्वर्गवास के बाद 03.05. 2021 को हमने सम्पत्ति में अपना नाम नही चढ़ा पाये क्योंकि हमारी एक विधवा भाभी बरेली में रहती है। कृपया हमको सम्पत्ति में एक commerical connection देने का कष्ट करे, इसमें मेरा घरेलू कनेक्शन मेरे ही नाम चल रहा है अगर कोई कानूनी पक्ष आया तो मैं Affidavit देने को तैयार हूँ।*"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 486 दिनांकित 06/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *उपभोक्ता को अघरेलू विद्युत संयोजन लेना है, जिसमें उपखण्ड लिपिक की आख्या अनुसार उपभोक्ता को उपखण्ड लिपिक द्वारा अवगत कराया गया था की अघरेलू विद्युत संयोजन लेने जो दस्तावेज विभागीय नियमानुसार उपलब्ध कराने होते है, उसमें उपभोक्ता द्वारा ownership के दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये है, जिसके उपरांत नया अघरेलू विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।*"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को अघरेलू संयोजन निर्गत नहीं किया गया।

परिवादी द्वारा नगर आयुक्त देहरादून का पत्रांक संख्या 75/सा0नि0वि0/ख0भ0/19 दिनांक 05.07.2019 प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि संबंधित परिसर पर परिवादी काब्जि है।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के द्वितीय परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा "Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the **premises** by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction **premises** falls, the Licensee shall not grant new conncetion to such Applicant."

[Emphasis Added]

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) के अन्तर्गत परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office ; 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माननीय् **UERC** के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी से आवेदन कराया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक:– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23-1-2024
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

23/01/24
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

23/01/24
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 97 / 2025

श्री चन्द्रेश गुलाटी
निवासी–134, कौलागढ रोड,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 30.01.2026

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा सितम्बर माह का बिल रूपये 73,305/– आया है। जोकि मेरे पूर्व में कभी भी यह बिल 7000–8000 रू से ऊपर नहीं आया है। किन्तु सितम्बर माह का बिल 73,305/–रू आना मेरे लिए चिन्ता का विषय है। एवं उपभोक्ता आपको यह भी अवगत करवाना चाहता है कि मेरे द्वारा दिनांक 04–11–2025 से 13–11–2025 तक एक चैक मीटर विभाग द्वारा लगाया गया था जिसका विवरण एवं बिल मेरे द्वारा संलग्न किया जा रहा है। कृप्या उपरोक्त विषय में उचित निवारण करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 611, दिनांकित 29/11/2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है कि–

1. *"उपभोक्ता का विद्युत संयोजन सं० CD62226234492 पर मीटर सं० 15443632 स्थापित है।*

Consumer Grievance Redressal Forum
Zone)
Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
..radun - 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. माह सितम्बर 2025 में उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग 50034 पायी गयी। उपभोक्ता के मीटर की एम.आर.आई. कराई गयी तथा एम.आर.आई. रिर्पोट में रीडिंग सही पायी गयी। एम.आर.आई. रिर्पोट पत्र के साथ संलग्न है।

3. उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर हेतु आवेदन करने के उपरान्त दिनांक 04.11.2025 को उपभोक्ता के मीटर सं० 15443632 के साथ चैक मीटर स्थापित किया गया।

4. दिनांक 17.11.2025 को चैक मीटर उतारा गया। चैक मीटर तथा मेन मीटर में कोई अन्तर नहीं पाया गया। सीलिंग रिर्पोट पत्र के साथ संलग्न है।

5. चैक मीटर रिर्पोट के अनुसार चैक मीटर तथा मेन मीटर में कोई अन्तर न पाये जाने के कारण उपभोक्ता के बिल में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त आपको सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा था परन्तु दिनांक 19.07.2025 से दिनांक 24.09.2025 अर्थात् 67 दिनों के दो विद्युत बिल चक्रों में एकाएक 1428+8013=9441 यूनिट अर्थात् 141 यूनिट (9441/67= 140.91) रू0 84667.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से मंच के संज्ञान मे आया कि दिनांक 17.08.2025 को परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 42021 थी जबकि दिनांक 24.09.2025 को मापक की रीडिंग 50034 थी। मंच द्वारा एम0आर0आई0 रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि परिवादी के विद्युत मापक द्वार दिनांक 01.08.2025 से 17.08.2025 अर्थात् 16 दिनों की अवधि में 1194 यूनिट (75 यूनिट प्रतिदिन) का उपभोग दर्शाया

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 99/2025

श्रीमती ज्योत्सना डिमरी पत्नी श्री कैलाश डिमरी — **परिवादी**
निवासी– मकान नं0–103, लेन–12,टिहरी ग्रामीण
पुनर्वास कालोनी, बंजारावाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांक: 30.01.2026**

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *टिहरी ग्रामीण पुनर्वास कालोनी, लेन नंबर–12, बंजारावाला, देहरादून में स्थित मेरे मकान पर मेरे नाम से 04 किलोवाट क्षमता का एक घरेलू विद्युत संयोजन संख्या SD15723158072 चला आ रहा है, जिसके बिलों का मेरे द्वारा सदैव नियमित भुगतान किया जाता रहा है। दिनांक 14.09.2025 को विद्युत विभाग द्वारा मेरे संयोजन पर पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, जिसका सीलिंग प्रमाण पत्र संलग्न है। इससे पूर्व माह 08/2025 के विद्युत बिल का मेरे द्वारा पूर्ण भुगतान (रसीद संलग्न) किया जा चुका है। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद से वर्तमान तक विद्युत विभाग द्वारा मेरे संयोजन*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

का विद्युत बिल निर्गत नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विद्युत विभाग के कार्यालय एवं सम्बन्धित उपखंड अधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर शिकायत भी की गई, परन्तु विभाग द्वारा उनकी इस शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस स्थिति में कई माह का बिल एकमुश्त मिलने से हम पर आर्थिक बोझ पडेगा। इसके अतिरिक्त कुछ समय पूर्व हमारे संयोजन की सर्विस लाइन केबिल बदली गई थी, जिस दौरान विभागीय कर्मचारी द्वारा मीटर को विधिवत सील नहीं किया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा विद्युत बिल (बिना विलम्ब अधिभार शुल्क) तत्काल निर्गत करने हेतु विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करें। साथ ही बिल निर्गत करने में जितने माह की देरी की जायेगी बिल की धनराशि जमा करने हेतु उतने ही माह का समय दिया जाए। हमारे संयोजन के मीटर को विधिवत सील करने के संबंध में भी विभाग को उचित निर्देश जारी करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 853 दिनांकित 30/12/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"आवेदक द्वारा अपने स्मार्ट मीटर में परिवर्तित हुए संयोजन के बिल नहीं आने सम्बन्धित शिकायत की गई है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर का बिल निर्गत कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कज्यू हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है, कि उल्लेखित अवधि में विपक्षी द्वारा परिवादी को स्मार्ट मीटर मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे थे जो कि पूर्व माहों की खपत के लगभग समान्तर है, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा वास्तविक विद्युत खपत का आकलन न

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल क्षेः
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रकार से किया जा है, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा राकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड़समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

30-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/01/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 100/2025

श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व० भगवन दास — परिवादी
निवासी–लाइन जीवनगढ,
विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 31.01.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है *"कि मैंने मार्च 2025 को अपना बकाया पिछले बिल (VN13111011860) की धनराशि जमा करा दी थी माह अप्रैल में मेरे को रू० 393 का बिल आया है माह मई में मेरे को रू० 22134 का बिल आया है जो कि मीटर में तकनिकी समस्या के कारण आया है। अतः आपसे निवेदन है कि मीटर कि जाँच कर व सब रीडिंग के अनुसार बिल कि त्रुटि में सुधार करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 7097, दिनांकित 26/12/2025 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail -- cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 4KW में 18 अगस्त 1990 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन संख्या VN1311101860 है।*
2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 19.08.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।*
3. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

अतः वाद निरस्त करने योग्य है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 142, दिनांकित 09.01.2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि सहायक अभियन्ता, परीक्षणशाला (गापक), विकासनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के यहां लगे हुए मीटर सं० U465415 की MRI उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 09/01/2025 से 09/05/2025 अर्थात् 121 दिनों का विद्युत बिल कुल 3324 यूनिट का प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद।

विपक्षी द्वारा दो विद्युत बिल चक्र में (09/01/2025 से 09/05/2025 तक) में दर्शायी गयी 3324 यूनिट (6191–2867) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 1 KW स्वीकृत विद्युत भार तथा पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 27.41 अर्थात् 28 (3324/121) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विगत में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के बिल ही निर्गत किये जा रहे थे जो कि माननीय ***UTTARAKHAND*** *ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रवधानों के आलोक में वास्तविक मीटर रीड़िग पर आधारित थे जो पूर्णतः सही है। कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि बिल चक्र

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

05/2025 में दर्शायी गई 3324 यूनिट की खपत परिवादी की विगत एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक बिल चक्र की तुलना में बहुत अधिक है, सम्भवतः विद्युत मापक में तकनीकि खराबी होने के कारण मीटर जंप किया होगा। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवादी के परिसर पर स्थापित पूर्व विद्युत मापक संख्या U465415 को तकनीकि रूप से सही नहीं माना जा सकता है, ऐसी दशा परिवादी को बिल चक्र 05/2025 में निर्गत विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (05/2024, 03/2024 एवं 01/2024) की औसत खपत 23.33 अर्थात् 23 यूनिट (01+25+44)/3 प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्र 05/2025 में निर्गत विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (05/2024, 03/2024 एवं 01/2024) की औसत खपत 23.33 अर्थात् 23 यूनिट (01+25+44)/3 प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31-1-2026	31/01/26	31/01
(सुन्दरी गैरोला देवली) न्यायिक सदस्य	(दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य	(रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

परिवाद सं0 102/2025

श्रीमती मनीषा पालिवाल
निवासी– 7–सी ग्रीन पार्क,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांकः 30.01.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि अधोहस्ताक्षरी का नाम मनीषा पालिवाल है जो 7–सी ग्रीन पार्क, में 26 वर्षों से निवास कर रही है। विगत वर्षों में विषम परिस्थितियों में ससमय बिल भुगतान नहीं हो सका जिस कारण कनेक्शन कट गया था। वर्तमान में बिल भुगतान की राशि जमा करने को तैयार होने के बावजूद संबंधित कार्यालय कनेक्शन देने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि संपत्ति से संबंधित कागजात एवं NOC के बिना नहीं हो सकता। महोदया निवेदन करना है कि मेरा परिवार मेरे भरण–पोषण एवं आवश्यकताओं की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है एवं दुबारा कनेक्शन हेतु NOC एवं कागजात भी उपलब्ध नहीं करा रहा है ऐसी स्थिति में क्या भारत का संविधान भी मुझे आवश्यक आवश्यकताओं से वंचित रखेगा? यदि नही तो मेरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु उचित मार्ग बताएँ। आय का कोई स्त्रोत न होने के कारण मैं BPL कार्ड धारक भी हूँ। भवन के परिसर में वर्षों से मैं अपने पुत्र के साथ निवास कर रहीं हूँ। मेरे पुत्र के पास भी आय का कोई नियमित स्त्रोत नहीं है। थोडी–बहुत सिलाई करके बडी कठिनाई से मैं गुजर बसर करती थी परन्तु बिजली कनेक्शन कट जाने पर*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

आय का वह साधन भी समाप्त हो गया है। मेरे द्वारा CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है एवं दूरभाष पर आश्वासन दिया गया है कि आवश्यक आवश्यकताओं के अन्तर्गत बिजली की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। अतः कृपया CM हेल्पलाइन शिकायत नं० का संदर्भ भी ग्रहण करें। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मानवाधिकार के अन्तर्गत मुझे शीघ्र विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2388, दिनांकित 03/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि अवर अभियंता, निरंजनपुर की स्थल निरीक्षण आख्या के अनुसार संबंधित क्षेत्र उपखण्ड पंसत विहार के अन्तर्गत आता है। अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 1250, दिनांकित 15.01.2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है:

1. *"श्रीमती मनीषा पालिवाल जिस मकान संख्या 7–सी ग्रीन पार्क, देहरादून में निवास कर रही है उस परिसर में पूर्व में एक विद्युत संयोजन संख्या SD16133156828 श्रीमती इन्द्रा शर्मा के नाम पर था, इस संयोजन को विद्युत बिल बकाया होने के कारण काटा गया था एवं विद्युत बिल बकाया धनराशि जमा नहीं होने के कारण दि० 16.04.2024 को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। इस विद्युत संख्या SD16133156828 पर बिल धनराशि रू० 25,121/– बकाया है।*
2. *श्रीमती मनीषा पालिवाल द्वारा अपने पत्र में अंकित किया गया है कि उनके पास नया विद्युत संयोजन लिये जाने हेतु सम्पत्ति से सम्बन्धित कागजात एवं एन०ओ०सी० नहीं है। इस सम्बन्ध में UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and related Matters) Regulations, 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।*

मा० मंच के संज्ञान में लाना है कि कारपोरेशन नियमानुसार किसी परिसर में पुराने विद्युत संयोजन की धनराशि बकाया होने से उस परिसर में नया विद्युत संयोजन निर्गत नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त मा० मंच को सूचनार्थ प्रेषित है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विगत वर्षों में विषम परिस्थितियों में ससमय बिल भुगतान नहीं हो सका जिस कारण कनेक्शन कट गया था। वर्तमान में बिल भुगतान की राशि जमा करने को तैयार होने के बावजूद

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

संबंधित कार्यालय कनेक्शन देने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि संपत्ति से संबंधित कागजात एवं NOC के बिना नहीं हो सकता। परिवादी द्वारा मंच के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि जिस भवन में उनके द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है, उस भवन में वह वर्तमान में कब्जेधारी है।

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त एवं विभिन्न न्यायालयो द्वारा बिजली को मूलभूत सुविधा मनने जाने हेतु निर्देश का संज्ञान लेते हुए मंच का मत है विपक्षी द्वारा माननीय् **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परंतुक :– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.4 to Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection"** के तहत् परिवादी द्वारा घरेलू श्रेणी में संयोजन आवदेन करने के पश्चात् परिवादी को नियामानुसार विद्युत संयोजन जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परंतुक **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.4 to Table 3.6 of Clause (11) of Sub-**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फ
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection" के तहत् परिवादी को घरेलू विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर गंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत** औम्बड्समैन, 80, **बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30-1-2026

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/01/26

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/01

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

परिवाद सं0 104/2025

श्रीमती सुचिता पत्नी श्री विनोद प्रसाद — परिवादी
निवासी–खैरी खुर्द, 20 फुटी रोड,
श्यामपुर, ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक:19.01.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है"*कि परिवादीनी सुचिता पत्नी श्री विनोद प्रसाद, खैरी खुर्द, 20 फूटी रोड, श्यामपुर ऋषिकेश की मूल निवासी है। परिवदीनी को पूर्व में उपाकालि द्वारा संयोजन संख्या RK22223311164 उपलब्ध कराया गया था, जिसके अंतर्गत मासिक विद्युत यूनिट औसतन 40–50 प्राप्त होती रही है। परन्तु माह फरवरी, 2025 में मीटर जंप करने के दृष्टिगत मासिक विद्युत बिल, 4,268 यूनिट के सापेक्ष Rs. 30,609.00 (approx) प्राप्त हुआ, जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीनी द्वारा चैक मीटर व MRI किए जाने हेतु भी सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु उपाकालि द्वारा ना ही चैक मीटर लगाया गया व ना ही MRI की गई। उक्त के क्रम में प्रार्थीनी द्वारा रू० 10,000.00 भी उक्त अशुद्ध बिल के सापेक्ष माह अक्टूबर 2025 में उपाकालि कार्यालय में जमा कराए गए। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि उपाकालि द्वारा माह फरवरी, 2025 में प्रदर्शित रू० 30,609.00 का विद्युत बिल निरस्त कर, तथा उक्त के सापेक्ष परिवादीनी द्वारा जमा*

की गई रू० 10,000.00 की धनराशि को समायोजित करते हुए, शुद्ध विद्युत बिल प्रेषित करने का आदेश पारित कर प्रार्थीनी को उचित न्याय दिलाने की कृपा करें।"

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 12, दिनांकित 03/01/2026 से मंच को अवगत कराया है"*कि माह 12/2024 तक संलग्न विद्युत बिल विवरण के अनुसार उपभोक्ता की खपत प्रतिमाह–100 से 125 यूनिट ही थी किंतु माह 02/2025 में मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता का मीटर रीडिंग 8996 Kwh पर billed Unit-4268 Kwh का CDF बिल निर्गत हुआ जिसे इस कार्यालय द्वारा संशोधन कर MU में निर्गत किया गया जिसकी कुल धनराशि 30609.00रू थी, इसके उपरान्त विद्युत बिल विवरण के अनुसार 02/2025 के पश्चात् मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता का विद्युत बिल 70–75 यूनिट प्रतिमाह का ही प्रेषित किया जाता रहा है। उपभोक्ता के बिल माह 08/2025 तक मीटर रीडिंग के निर्गत हुए। माह 10/2025 में उपभोक्ता का बिल IDF का निर्गत हु जिसकी धनराशि 35620.00 रू० थी। जिसमें से उपभोक्ता द्वारा माह 10/2025 में कुल धनराशि 10,000.00 रू० जमा किया गया। माह 12/2025 में उपभोक्ता का बिल IDF का निर्गत हुआ जिसकी धनराशि 26,681.00 रू० है जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नहीं किया गया है। महोदय, अवर अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या U377651 का MRI करने का प्रयास किया गया किंतु मीटर का MRI नहीं हो पा रहा है। जिससे उपभोक्ता का बिल वास्तविक रीडिंग के अनुसार संशोधित नहीं किया जा सका। अवर अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता के परिसर का स्थलीय जाँच करने पर विद्युत लोड मात्र 100 वाट पाया गया।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 17/12/2025 से 16/02/2026 अर्थात् 62 दिनों का विद्युत बिल कुल 4268 यूनिट का प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद।

विपक्षी द्वारा एक विद्युत बिल चक्र में (17/012/2025 से 16/02/2025 तक) में दर्शायी गयी 4268 यूनिट (8996–4728) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 2 KW स्वीकृत विद्युत भार तथा

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone: 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवद
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27
ई–मेल cgrfgz@gmail

पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 68.83 अर्थात् 69 (4268/62) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। विपक्षी विवादित मापक संख्या U377651 की एम0आर0आई0 प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। मंच ने उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 03.01.2026 की आख्या का संज्ञान लिया जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अवर अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या U377651 की MRI करने का प्रयास किया गया किंतु मीटर का MRI नहीं हो पाई, जिससे उपभोक्ता का बिल वास्तविक रीडिंग के अनुसार संशोधित नहीं किया जा सका।

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवादी के परिसर पर स्थापित पूर्व विद्युत मापक संख्या U377651 को तकनीकि रूप से सही नहीं माना जा सकता है, ऐसी दशा परिवादी को बिल चक्र 02/2025 में निर्गत विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (12/2024, 11/2024 एवं 10/2024) की औसत खपत क्रमशः (55+102+112/3= 89.66) अर्थात् 90 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्र 02/2025 में विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (12/2024, 11/2024 एवं 10/2024) की औसत खपत क्रमशः (55+102+112/3 = 89.66) अर्थात् 90 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का रारचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.

नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19-1-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

19/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19/0
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 105/2025

श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व० श्री टेकबहादूर — **परिवादी**
निवासी– लाईन जीवन गढ,
नियर ध्यानी फार्म हाऊस,
विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांकः 31.01.2026**

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री स्व० टेकबहादूर लाईन जीवनगढ विकासनगर विद्युत कनेक्शन संख्या– VN14111405959 का बिल दिनांक 29/07/2025 से 30/09/2025 तक (5848) यूनिट आया है। जिसका निर्धारण 46080.00 आया है तथा इससे पूर्व में मेरा प्रत्येक महीने का उपयोग लगभग 225 यूनिट है इस सम्बन्ध में मैने (श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री स्व० टेकबहादूर) ने मीटर की एम०आर०आई० कराई है एम०आर०आई० की प्रति संलग्न है। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा विद्युत बिल किस प्रकार से इतना अधिक बना है कृपया इस मामले की जॉच कर इसका निस्तारण करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 18, दिनांकित 03/01/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया हैः–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135- 27673
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-10/Other Domestic Load Upto 4KW में 07 मई 2016 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं० VN14111405959 है।*
2. *परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए गये है।*

   अतः वाद निरस्त करने योग्य है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 30/07/2025 से 30/09/2025 अर्थात् 63 दिनों का विद्युत बिल कुल 5848 यूनिट का प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद।

विपक्षी द्वारा एक विद्युत बिल चक्र में (30/07/2025 से 30/09/2025 तक) में दर्शायी गयी 5848 यूनिट (20365–14517) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 2 KW स्वीकृत विद्युत भार तथा पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 92.82 अर्थात् 93 (5848/63) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि विगत में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के बिल ही निर्गत किये जा रहे थे जो कि माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रवधानों के आलोक में वास्तविक मीटर रीडिग पर आधारित थे जो पूर्णतः सही है। कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि बिल चक्र 09/2025 में दर्शायी गई 5848 यूनिट की खपत परिवादी की विगत एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक बिल चक्र की तुलना में बहुत अधिक है, सम्भवतः विद्युत मापक में तकनीकि खराबी होने के कारण मीटर जंप किया होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत परिवादी के परिसर पर स्थापित पूर्व विद्युत मापक संख्या 187912 को तकनीकि रूप से सही नहीं माना जा सकता है, ऐसी दशा परिवादी को बिल चक्र 09/2025 में निर्गत विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (07/2025, 05/2025 एवं 03/2025) की औसत खपत 416.66 अर्थात् 417 यूनिट (473+463+314)/3 प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्र 09/2025 में निर्गत विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व तीन बिल चक्रों (07/2025, 05/2025 एवं 03/2025) की औसत खपत 416.66 अर्थात् 417 यूनिट (473+463+314)/3 प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 187912 को अविलंब स्मार्ट मीटर से बदलना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31.1.2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

30/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/01/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 110/2025

श्री अवतार सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह — परिवादी
निवासी– कनक विहार हरभजवाला,
शिमला बाई पास, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 31.01.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding excess amount of Electricity Bill .
The Complainant in his complaint stated that *"I would like to bring to your kind notice that I am consumer of electricity under your department. My account Number is 42300793430. I have received the electricity bill for the month of September 2025 amounting to Rs. 91326, which is unusually high as compared to my previous bills. I wish to inform you that my electricity usage as been normal and no additional electrical appliances have been used during this period. Therefore, the excessive bill amount appears to be incorrect. There may be error in meter reading, billing calculation, or a fault in the electricity meter. I have been receiving an unusually high electricity bill for the September month. I firmly believe that this issue is due to an incorrect meter or meter box. Regarding this matter, I had already submitted a written application to the SDO office, Ganeshpur Dehradun, requesting them to restore/return my previous meter box and to resolve the billing issue. However, despite the passage of more than three months, no inspection has been conducted and no conclusion or solution has been provided by the concerned SDO office. I have personally visited the office several times, but I was only advised to wait, and no corrective action has been taken so far. Due to this continued negligence and lack of reponse,*

I am now compelled to approach the Honorable Consumer Forum for Justice. I kindly request you to please take necessary action, direct the concerned department to inspect the meter, restore the previous meter box if required,and issue a corrected electricity bill. I shall be highly grateful for your kind intervention in this matter. I kindly request you to please arrange for an inspection of my electricity meter and recheck the bill. If any discrepancy is found, I request that a corrected bill be issued at the earliest. Respected sir. I kindly request you not to disconnect my electricity supply during this period till the case is resolved. I also request you to please restore or accept my previously installed electricity meter at the earliest. I shall be highly obliged for your cooperation."

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5799, दिनांकित 08/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्री अवतार सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी–कनक विहार, हरभजवाला, शिमला बाई पास रोड, देहरादून के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 5551 दिनांक 27.10.2025 एवं पुनः पत्रांक 5675 दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से उपभोक्ता के विद्युत बिल अधिक आने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. को पुराने इलेक्ट्रोनिक मापक उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया था, जिसके सापेक्ष मीटर की एम.आर.आई. करा कर समस्या का निराकरण किया जा सकें। परन्तु कार्यदायी संस्था M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. द्वारा आतिथि तक भी मीटर उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके कारण उक्त समस्या का समाधान करने में विलम्ब हो रहा है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 15/08/2025 से 24/09/2025 (मीटर बदलने की तिथि) अर्थात् 41 दिनों का पुराने विद्युत मापक संख्या 10340752 का विद्युत बिल कुल 11374 यूनिट का प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद। विपक्षी द्वारा एक विद्युत बिल चक्र (15/08/2025 से 24/09/2025

(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248C
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

तक) में पुराने मीटर संख्या 10340752 में दर्शायी गयी 11374 यूनिट की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 2 KW स्वीकृत विद्युत भार तथा पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 277.41 अर्थात् 278 (11374/41) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। सम्भवतः परिवादी का मीटर उक्त अवधि में तकनीकि खराबी के कारण जंप किया होगा।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मनना है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 10340752 आई0डी0एफ0 था। मंच का मत है कि परिवादी को माह 09/2025 में पुराने मीटर संख्या 10340752 के आधार पर प्रेषित 11374 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 08/2025, 07/2025 एवं 06/2025 की औसत खपत औसत खपत 91.66 अर्थात् 92 यूनिट (87+74+114)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये स्मार्ट मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को माह 09/2025 में पुराने मीटर की रीडिंग अनुसार प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों 08/2025, 07/2025 एवं 06/2025 की औसत खपत औसत खपत 91.66 अर्थात् 92 यूनिट (87+74+114)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये स्मार्ट मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाये। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31.1.2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

31/01/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

31/01/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य